न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2013

1. भागोदेवी पत्नी निकूराम जाति जाट निवासी 5 जी.जी.आर. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/1 देवीलाल पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी 9 एसपीएम रावतसर जिला हनुमानगढ।

—प्रार्थीया—

बनाम

1. राजकुमार पुत्र नेमीचन्द | जाति बोथरा (ओसवाल) निवासी मण्डी पीलीबंगा
2. मूलचन्द पुत्र नेमीचन्द | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल — प्रार्थी
2. श्री करणी सिंह राठौड़ — अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 3

अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुदा है।

—:: निर्णय ::—

दिनांक :—31/01/2025

.....

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251—क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार है। यह कि प्रार्थीया के नाम से चक 30 एस. टी.जी. के प.नं. 29/319 का किला नं. 1/.139, ,2,9,10,11,12, 19/164, 20, 21 की 2.074 हैक् नाली प्रथम की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसकी जमाबन्दी की सत्य प्रतिलिपि सम्वत 2068 से 2071 सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीया की भूमि के पूर्वी दिशा में चक 30 एस. टी. जी. के प.नं.29/319 का किला नं.3,4,5/2/.127 जिसमें .026 हैक. गै०मु०रास्ता व .101 हैक् नाली प्रथम, 6/.253 जिसमें .051 हैक. गै०मु०रास्ता व 202 हैक नाली प्रथम, 7,8, .063 की 1.455 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं.1 राजकुमार के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:06 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीया की भूमि के पूर्वी दिशा में चक 30 एस.टी. जी. के प.नं. 29/319 का किला नं.5/1/126 हैक., 13/2/190 हैक., 14, 15/253 जिसमें .051 हैक. गै०मु०रास्ता व .202 हैक, नाली प्रथम, 16/.253 जिसमें .051 हैक. गै०मु०रास्ता व 202 हैक. नाली प्रथम, 17,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

18,19/2/089 की 1.670 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सं. 2 मूलचन्द के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसकी सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीया की भूमि में आने जाने हेतू वर्तमान में कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही है। कि प्रार्थीया के नाम की भूमि के पूर्व दिशा में मण्डी पीलीबंगा से चक 29 एस.टी.जी. आदि गांवो को जाने के लिये अप्रार्थी सं.1 व 2 की खातेदारी भूमि के चक 30 एस.टी.जी. के प.नं. 29/319 के किला नं.5,6,15,16 में पक्की सड़क बनी हुई है। कि प्रार्थीया की भूमि में आने जाने हेतू अप्रार्थी सं.1 व 2 की खातेदारी भूमि के प.नं.29/319 के किला नं. 3,4,5 में 1–1 विस्वा अर्थात .013 हैक्टर प्रत्येक बीघा में रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित व आवश्यक है। कि प्रार्थीया की भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। कि प्रार्थीया की भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं.1 व 2 की प.नं. 29/319 के किला नं. 3,4,5 में से ही सीधा व सुगम रास्ता है। कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की भूमि में स्वीकृत करवाये जा रहे रास्ते के स्थान के बदले भूमि अथवा श्रीमान जी द्वारा रास्ते के स्थान की भूमि के बदले प्रतिफल राशि अदा करने के आदेश दिये जाने पर प्रतिफल राशि एवं भूमि देने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में कार्य फसल बोने, काटने, उठाने के लिये स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही होने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड़ता है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को अपनी भूमि में आने जाने हेतू कभी भी रोका जा सकता है।इसलिये प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि के लिये चक 30 एस. टी. जी. के प.नं. 29/319 के किला नं. 3,4,5 में 1–1 विस्वा अर्थात .013 हैक्टर प्रत्येक बीघा में उतरी दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारिणी है।

यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की चक 30 एस.टी. जी. के प.नं.29/319 के किला नं. 3,4,5 में 1–1 विस्वा अर्थात .013 हैक्टर प्रत्येक बीघा में उतरी दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाने के आदेश पारित करतु हुए उक्त स्वीकृत शुद्धा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित करने की कृपा की जावे, अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थीया के हित में हो एवं श्रीमान न्यायालय पारित करना उचित समझे पारित करने की कृपा की जावें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया वास्ते अप्रार्थीगण नोटिस जारी कर तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री करणी सिंह राठौड़ अधिवक्ता हाजिर आये जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जवाब अप्रार्थी सं.1 निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज अप्रार्थी सं.1 का पंजीकृत पता यही है जबकि अप्रार्थी सं.2 जयपुर में रहता है यहां नही रहता है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 रिकार्ड से सम्बधित है जो प्रार्थीया स्वंय सिद्ध करे। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है जो प्रार्थीया स्वंय सिद्ध करे । यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है जो प्रार्थीया स्वंय सिद्ध करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:05 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 [illegible] ही है स्वीकार नही है। प्रार्थीया वर्तमान में रेल्वे लाईन के साथ से आती जाती है। वही [illegible] आवे जावे। अप्रार्थी सं. 1 के प.नं. 29/319 के किला नं. 3, 4, 5 में रास्ता नाजायज तरीके से मांग रही है। इस प्रकार रास्ता देने से मन अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि प.नं. 29/318, 29/319 के बीचो बीच भूमि मे से रास्ता जाने से मन अप्रार्थी की भूमि दो खण्डो में विभक्त हो जायेगी जिससे भूमि को काश्त पानी लगाने आदि में दिक्कत होगी। मिन अप्रार्थी की भूमि के बीचो बीच रास्ता नही दिया जा

सहायक कलक्टर एव
... अधिकारी पीलीबंगा

सकता। प्रार्थीया को सीधा व सुगम रास्ता प. नं. 29/318 (4) के किला नं. 16, 17, 18 में लाईन के साथ साथ रास्ता दिया जाने से अधिक सुविधा जनक रहेगा। प्रार्थीया नें जानबूझकर मु.नं. 4 में रास्ता की मांग नही कर मन अप्रार्थी की भूमि के बीचो बीच रास्ता की मांग की है जो अनुचित है। गांव की तरफ से आने पर मु.नं. 4 पहले आता है जिसमें से रास्ता सुगम व सीधा पड़ता है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 जिस प्रकार से दर्ज की गई है स्वीकार नही है। प्रार्थीया अभी भी प.नं. 29/318 (4) से रेल्वे लाईन के पास पास आती है तथा वही से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहिये परन्तु प्रार्थीया नें दुर्भावनापूर्वक अप्रार्थी की भूमि को दो खण्डो में विभक्त करते हुए रास्ता की मांग अनुचित व नाजायज तथा अप्रार्थी को तंग परेशान करने हेतू की है जिसे खारिज फरमाया जाना न्यायोचित है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 कानूनी है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अर्ज़ है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया दुर्भावनापूर्वक अप्रार्थी सं.1 की भूमि को दो खण्डो में विभाजित करने हेतू प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीया को सीधा व सुगम रास्ता चक नं. 30 एसटीजी के प.नं. 29/318 (4) के किला नं. 16, 17, 18 में रेल्वे लाईन के साथ साथ स्वीकृत किये जाने पर किसी की भूमि दो खण्डो में विभक्त नही होगी। प्रार्थीया नें अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता की मांग अनुचित की है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे आपकी अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 2 की बाद तलबी हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 845 दिनांक 28.10.22 से प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर बन्द है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बधित खाते के समस्त काश्तकारान् को पक्षकार बनाया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा पूर्व में प्रार्थीगण के इस रकबा को नही लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नही लगता। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10–क सीपीसी अधिवक्त अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद निर्णिय प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10–क सीपीसी अस्वीकार किया गया है।

आदेश

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र डीएलसी का दुगना या भूमि के बदले भूमि देने के लिए तैयार है पत्थर लाईन पर रास्ता चाहा गया है तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो आपत्ति नहीं है। अधिवक्त अप्रार्थी संख्या [illegible] बहस में कथन किया गया विकल्प में अन्य रास्ता 6,7,8 में उप[illegible] द्वारा प्रकरण में मौका निरिक्षण किया गया एवं मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर बन्द है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बधित खाते के समस्त काश्तकारान् को पक्षकार बनाया गया। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा पूर्व में प्रार्थीगण के इस रकबा को नही लगता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नही लगता। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है इस लिए तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–के तहत स्वीकार किया जाकर तहसील पीलीबंगा चक 30 एस.टी. जी. के

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
अधिकारी पीलीबंगा

प.नं. 29/319 के किला नं. 3,4,5 में 1–1 विस्वा अर्थात .013 हैक्टर प्रत्येक बीघा में उतरी दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। राजस्थान राज पत्र सितम्बर 06, 2023 विधि विभाग ग्रुप–2 अधिसूचना राजस्थान अभिधृत अधिनियम 2023 के विन्दू संख्या 3 में 1955 के राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम संख्या 3 की धारा 251–क का संशोधन कर मूल अधिनियम की धारा 251–क की उपधारा 1 के तहत प्रतिकर के संदाय की एवज में अप्रार्थी की भूमि के लगती हुई भूमि के समान अन्तरण किये जाने के तहत प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड चक 30 एसटीजी के खाता संख्या 51/74प.न. 29/319 के मु.न. 7 किला न. 2 व किला 9 की कुल 0.039 है0 भूमि अप्रार्थीगण के रकबा से चिपती हुई भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है।

आदेशों की पालना में तहसीलदार उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 31/01/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.02.06 15:26:05 IST
Reason: SelfAttested